

प्रातःकालीन सभा विद्यालय संस्कृति का प्रतिबिंब

ऋषभ कुमार मिश्र*

इस लेख की आधारभूत मान्यता है कि विद्यालयों में होने वाले रीति-रिवाज उसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई विद्यालय शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक के बारे में जो दृष्टि रखता है, उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष अभिव्यक्ति इन रीति-रिवाजों में होती है। इस पृष्ठ भूमि में प्रस्तुत लेख आनंद निकेतन विद्यालय की प्रातःकालीन सभा के अध्ययन द्वारा विद्यालय की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। यह लेख बताता है कि किस तरह से विद्यालय की प्रार्थना सभा में शारीरिक व्यवहारों के परिमार्जन और सख्त अनुशासन के स्थान पर आत्मानुशासन, अध्यापकों के वर्चस्वशाली नियंत्रण के स्थान पर लोकतांत्रिक भागीदारी, व्यवहारों और विचारों के पुनरुत्पादन के स्थान पर स्वतंत्र और मननशील चिंतन को पोषित किया जाता है।

विद्यालयों में होने वाली प्रातःकालीन सभा के दौरान की जाने वाली प्रार्थना, दिए जाने वाले निर्देश, विद्यार्थियों की प्रस्तुतियाँ और अन्य क्रियाकलाप शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक के बारे में विद्यालय की दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं। प्रातःकालीन सभा, जैसे— विद्यालयी रीति-रिवाजों का लक्ष्य सामूहिक एकजुटता के बोध को पुष्ट करना, नैतिक संदेशों को प्रसारित करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है (दुर्खाइम, 1965)। विद्यालय की प्रातःकालीन सभा जैसे रीति-रिवाज को क्वार्टज़ (1999) ने औपचारिक प्रतीकात्मक प्रदर्शन माना है जिसमें दर्शकों का एक समुदाय उपस्थित होता है। इस समुदाय के लिए सोद्देश्य प्रदर्शन किया जाता है।

इस प्रदर्शन में समूह के सभी सदस्य भाग लेते हैं। हर भागीदार केवल अपने लिए अपने प्रदर्शन नहीं करता, वह दूसरों को भी दिखाना चाहता है कि वह खास तरह के आंगिक-वाचिक हाव-भाव द्वारा संप्रेषण कर सकता है। इस पूरे प्रदर्शन का प्रतीकात्मक अर्थ होता है जिससे वैयक्तिक और सामूहिक पहचान पुष्ट होती है। इन प्रतीकात्मक अर्थों का दूरगामी प्रभाव होता है। इसके द्वारा विद्यालय, विद्यार्थियों और शिक्षकों को अर्थ-निर्माण का एक सांस्कृतिक माध्यम उपलब्ध कराता है (बर्नस्टीन, लेविन और पीटर्स, 1966)। इस माध्यम में शामिल होने वाले भागीदार इसमें निहित प्रत्यक्ष और छुपे हुए अर्थों का निर्वचन करते हुए 'विद्यालय का सदस्य' होने के बोध से युक्त होते

* असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

हैं। उन्हें सामूहिक और वैयक्तिक स्तरों पर उनकी भूमिकाओं और विशिष्ट पहचान के प्रति सचेत किया जाता है। बर्नस्टीन, लेविन और पीटर्स (1966) के अनुसार विद्यालयी रीति-रिवाज दो तरीके के होते हैं। प्रथम, सहमति वाले रीति-रिवाज, जो पूरे विद्यालय को एक विशिष्ट समूह मानते हुए जोड़ते हैं और इसे एक अनूठी पहचान देते हैं। द्वितीय, विभेदक रीति-रिवाज, जो विद्यालय के भीतर उम्र, लिंग, कक्षा और कार्य विभाजन के आधार पर अलग-अलग समूहों को पहचान देते हैं। ये दोनों तरह के रीति-रिवाज नियंत्रण, व्यवस्था सत्ता को वैध बनाते हैं। फूको (1977) के विचार 'अनुशासनात्मक तकनीकी' के अनुसार प्रातःकालीन सभा में की जाने वाली गतिविधियाँ व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप विनियमित और नियंत्रित करती हैं। वे विद्यार्थियों को स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहारों के बारे में संदेश देती हैं।

उपर्युक्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में किए गए कार्य बताते हैं कि प्रातः कालीन सभा का लक्ष्य नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पोषण, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास, नागरिकता की शिक्षा देना होता है। इस दौरान नैतिक संदेशों के प्रसार के लिए धार्मिक प्रार्थनाओं का प्रयोग, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा, विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना और ऐतिहासिक महत्व के दिनों पर विशेष आयोजन का प्रयोग किया जाता है। इन गतिविधियों में मूलतः इस बात पर बल दिया जाता है कि अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए अपेक्षित गुण कौन-कौन से हैं (कैपी, 2019)। सिलबर्ट और जैकलीन (2015) ने अपने अध्ययन

में पाया है कि विद्यालय की प्रार्थना सभा में बच्चों को कक्षा के अनुसार अलग बैठाना, मॉनीटरों या चयनित विद्यार्थियों को कक्षा से अलग किसी विशेष स्थान पर बैठाना, शिक्षकों द्वारा निगरानी करने और अनुशासन बनाए रखने के हाव-भाव विद्यार्थियों के व्यवहारों का एक साँचे में ढालने का कार्य करते हैं। कब आना है? कहाँ बैठना है? क्या करना है? क्या नहीं करना है? की रोज-रोज पुनरावृत्ति बच्चों के विद्यालयी जीवन में ऐसे घुल जाती है कि ये विषय उनके लिए असामान्य नहीं रह जाते हैं और वे इसे अपनी पहचान के साथ आत्मसात कर लेते हैं। इस तरह से विद्यालयी रीति-रिवाज प्रभु वर्ग के स्वीकृत मूल्यों और व्यवहारों का पुनरुत्पादन करते हैं, लेकिन यदि इनका नियोजन इस दृष्टि से किया जाए कि इसमें व्यक्ति (विद्यार्थी और शिक्षक) की एजेंसी के लिए स्थान हो तो वे उक्त प्रवृत्ति से बच सकते हैं। इसके साथ-साथ विद्यालय को अपने रीति-रिवाजों के प्रदर्शन में वर्चस्व और शोषण को वैध बनाने वाले अर्थों व व्यवहारों को छुपाने के स्थान पर उन्हें प्रकट रूप से चर्चा की सामग्री बनाना होगा (बिजोर्क, 2002)। इस दृष्टि से आनंद निकेतन की प्रातःकालीन सभा एक भिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह लेख इसी उदाहरण को प्रस्तुत करता है।

आनंद निकेतन की प्रातःकालीन सभा

उपर्युक्त विचारों और अध्ययनों के आलोक में इस कार्य में आनंद निकेतन की प्रातःकालीन सभा की विशेषताओं को व्याख्यायित किया गया है। इस कार्य का उद्देश्य प्रातःकालीन सभा के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा आनंद निकेतन की अधिगम संस्कृति

पर प्रकाश डालना है। इसके लिए वृत्त अध्ययन (केस स्टडी) उपागम को अपनाते हुए प्रातःकालीन सभा का सहभागी अवलोकन किया गया है। अवलोकन के दौरान जो टिप्पणियाँ तैयार की गई थीं उन्हीं के विश्लेषण के आधार पर यह लेख तैयार किया गया।

आनंद निकेतन वर्धा के सेवाग्राम में स्थित विद्यालय है जिसका संचालन नई तालीम समिति द्वारा किया जाता है। यह विद्यालय सेवाग्राम आश्रम परिसर में ही स्थित है जिसके भवन मिट्टी और खपरैल के बने हुए हैं। यह विद्यालय नई तालीम के सिद्धांतों के आधार पर संचालित किया जाता है। यहाँ लगभग 250 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जो आसपास के गाँवों से आते हैं। यहाँ लगभग 20 शिक्षक हैं। यह विद्यालय अहिंसा और शांति आधारित न्यायमूलक एवं लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना को शिक्षा के माध्यम से साकार करना चाहता है। इस विद्यालय पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे की वैचारिकी का प्रभाव सर्वाधिक है। इस विद्यालय की प्रातःकालीन सभा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं—

आत्मानुशासन के साथ लोकतांत्रिक भागीदारी

आनंद निकेतन में दिन की शुरुआत कक्षा की तैयारी के साथ होती है। विद्यालय आने के साथ ही विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर अपनी-अपनी कक्षा को तैयार करते हैं। इस दौरान वे कक्षा की सफाई करते हैं। उसके बाद वे अपने बैठने के आसन को बिछाते हैं और अपना स्कूल बैग रखते हैं। कक्षा के प्रवेश द्वार और ब्लैकबोर्ड पर रंगोली और चित्रादि बनाते हैं। वर्धा के गाँवों में एक आम चलन है कि यहाँ लोग हर

सुबह अपने घरों के दरवाजों को फूलों और रंगोली से सजाते हैं। आनंद निकेतन के विद्यार्थी भी अपनी कक्षाओं और घर के समान को साफ करते हैं तथा सजाते हैं। कक्षा की सफाई तो स्कूल की अनिवार्य दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन कक्षा को सजाना विद्यार्थियों की पहल है। यह अवलोकनीय है कि इस दौरान विद्यार्थियों की निगरानी नहीं की जाती है। इसके लिए अलग से किसी पुरस्कार या सराहना की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ विद्यार्थी घर से विद्यालय आते हुए रास्ते से जंगली फूल एकत्रित करके लाते हैं। इसका उपयोग वे प्रार्थना स्थल की सजावट और कक्षा की सजावट के लिए करते हैं। क्षेत्र अवलोकन के दौरान पाया गया कि जिस कक्षा को प्रार्थना के संचालन का दायित्व सौंपा गया है, उसके अलावा भी विद्यार्थी फूल लाकर सजावट करते हैं।

प्रातःकालीन सभा से पूर्व स्कूल के विद्यार्थी खेलने के अतिरिक्त अपनी सब्जियों के खेतों का निरीक्षण करने के लिए भी जाते हैं। इस दौरान कुछ विद्यार्थी अपनी-अपनी क्यारियों की निराई और सिंचाई का कार्य भी करते हैं। इसके बारे में विद्यार्थियों ने बताया कि समय से पहले विद्यालय आना और खेतों का निरीक्षण करना उनके दैनिक समय नियोजन का अंग होता है। वे इन्हीं कार्यों को करने के लिए समय से पहले आते हैं। यह अवलोकन विद्यार्थियों के दायित्व बोध का प्रमाण है जिसके लिए उन्हें किसी सख्त संरचनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। वे स्वतःस्फूर्त होकर अपने कार्यों को करते हैं। अवलोकन में यह पाया गया कि कई बार शिक्षक भी उनके इस कार्य में सहभागी बन जाते हैं।

आनंद निकेतन विद्यालय में प्रातःकालीन सभा का आयोजन सुबह 10 बजे कला भवन में होता है। प्रार्थना सभा की बैठक व्यवस्था में विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ जमीन पर बैठते हैं। अन्य विद्यालयों की तरह यहाँ उनके वेश-भूषा आदि पर न तो कोई प्रतिबंध है और न ही इसकी कोई जाँच की जाती है। यह भी अवलोकनीय है इस विद्यालय में कक्षाओं को अपनी-अपनी पंक्ति में बैठने जैसी व्यवस्था भी नहीं है। यह भी देखा गया कि अध्यापकों के आने पर विद्यार्थियों के खड़े होने या उनसे दूरी बनाकर बैठने का भी चलन नहीं है। प्रार्थना सभा में, जहाँ से प्रार्थना का गायन होता है वहाँ बीच में एक मेज रखी होती है, जिसकी सजावट विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय फूलों के माध्यम से की जाती है। प्रार्थना के लिए निर्धारित समय से पूर्व विद्यार्थी कला भवन में एकत्रित होने लगते हैं। प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा संचालन का दायित्व कक्षा विशेष का होता है। नियोजित कार्यक्रमानुसार कक्षा विशेष और उसके शिक्षक कला भवन को प्रार्थना के लिए तैयार करते हैं। प्रार्थना आरंभ होने से पूर्व संगीत शिक्षक या किसी चयनित विद्यार्थी द्वारा हारमोनियम से एक मधुर ध्वनि बजाई जाती है। इस ध्वनि का बजना संकेत होता है कि प्रार्थना आरंभ होने वाली है और सभा में सभी उपस्थित जन शांत हो जाए। लगभग एक मिनट तक यह ध्वनि चलती है। इसके अतिरिक्त कोई भी आदेशात्मक निर्देश नहीं दिया जाता है। तदुपरांत सामूहिक प्रार्थना और गीत गाया जाता है। प्रार्थना के लिए विद्यालय ने गीतों का चुनाव सूझ-बूझ के साथ किया है। इनमें सर्वधर्म समभाव, प्रकृति की सराहना, आत्मविश्वास के भाव से युक्त गीत सम्मिलित हैं जो

प्रकृति और मानव के सहजीवन की सराहना करते हैं और विद्यार्थियों को सामाजिक बदलाव के लिए कर्ता की भूमिका में देखते हैं। यह भी अवलोकनीय गायन समूह को अलग और विशिष्ट दर्जा नहीं दिया गया है। वे समूह के साथ ही बैठते हैं और सभी मिलकर गायन करते हैं।

प्रार्थना और गीत के बाद एक विद्यार्थी, जिसे पहले सूचना रहती है, सुविचार पढ़ता है। इसके बाद एक दूसरा विद्यार्थी आज के 'दिन विशेष' पर अपनी बात रखता है। जिन विद्यार्थियों को सुविचार और दिन विशेष की प्रस्तुति देनी होती है, वे पहले ही अग्रिम पंक्ति में बैठे रहते हैं। संबंधित कक्षा शिक्षक इन विद्यार्थियों की तैयारी करवाते हैं। इस तैयारी के लिए प्रकरण का चयन सोद्देश्य होता है। इसमें समाज सुधारकों, स्थानीय संतों, गांधीवादी विचारकों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा छह की छात्रा सोनिया को उसकी अध्यापिका ने सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फुले पर प्रस्तुति तैयार करवाई थी। कक्षा पाँच की छात्रा हंसिका को उसके कक्षा शिक्षक ने, भारतीय शिक्षाशास्त्री पर प्रस्तुति तैयार करवाई थी। यह भी देखा गया कि विद्यार्थी व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त गांधी विचारों एवं सम-सामयिक विषयों पर भी प्रस्तुति देते थे। उदाहरण के लिए, कक्षा सात के समीर ने कताई पर विचार प्रस्तुत किया। उसने अपनी प्रस्तुति में बताया कि कताई करने से हाथ और आँखों का समन्वय बनता है। इससे ध्यान शक्ति भी बढ़ती है। यह एक कौशल है जो स्वावलंबन की ओर ले जाता है। समीर की ही तरह कक्षा आठ की छात्रा आशू ने प्रार्थना सभा को 'दालान (शिल्प

कार्यों) से समानता कैसे आए?’ विषय पर संबोधित किया। इसने कहा कि— “आनंद निकेतन के दालानों का उद्देश्य स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ समानता लाना भी है। इस समानता का पहला आधार लैंगिक है, क्योंकि हम जिन घरों से आते हैं वहाँ पर इन्हीं कामों को लैंगिक भेदभाव के साथ किया जाता है। दूसरी समानता सामाजिक समानता की है जहाँ किसी खास जाति के लोग कोई काम करते हैं और लोग उसे उस जाति से संबंधित मानते हैं और सामाजिक स्थिति में नीचे पायदान पर रखते हैं। तीसरी समानता जिसकी नई तालीम में चर्चा है, वह है ज्ञान और श्रम के बीच भेद को कम करना। नई तालीम का मानना है कि जो श्रम है उसमें भी ज्ञान की जरूरत होती है और जो ज्ञान है उसके लिए भी श्रम करना पड़ता है।” इस तरह की प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों को चिंतन के लिए दिशा प्रदान की जाती है। इससे वे एक ओर गांधी दर्शन और नई तालीम के सिद्धांतों से परिचित होते हैं तो दूसरी ओर एक संप्रेषक की भूमिका में संदेश का प्रसार भी करते हैं। यह अवलोकनीय है कि विद्यार्थियों की उक्त प्रस्तुतियों पर कोई चर्चा नहीं होती है।

आत्माभिव्यक्ति का मंच

प्रातःकालीन सभा के आखिरी चरण में कोई भी शिक्षक और विद्यार्थी आवश्यकतानुसार सभा के सामने अपनी बात रख सकता है। इसमें पहले विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, यह चरण विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का एक मंच प्रदान करता है। इस दौरान देखा गया कि विद्यार्थी समाचारपत्रों से, कहानी, कविता, खबर, पहेली या किसी प्रयोग का उल्लेख करते हैं। यह घटक पूर्णतया बच्चों की इच्छा और

स्वतंत्रता पर आधारित है, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा छह के एक विद्यार्थी पीयूष द्वारा ‘मिनी कूलर’ तैयार किया गया था। उसने अपने इस प्रयोग का प्रदर्शन प्रार्थना सभा में किया। इसी तरह एक अन्य प्रार्थना सभा में समीर नाम के विद्यार्थी ‘कबाड़ से जुगाड़’ परियोजना के अंतर्गत बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनाई थी। उसने प्रार्थना सभा में इसका प्रदर्शन किया। इस तरह का अवसर विद्यार्थियों के कर्ता बोध को मजबूत करता है। इससे उनमें यह संदेश भी जाता है कि उनके विचार, प्रयोग और अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं।

प्रार्थना सभा केवल विद्यार्थियों की ही प्रस्तुति और साझेदारी का मंच नहीं है, बल्कि आनंद निकेतन के शिक्षक भी इस मंच से अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, जया ताई और सुषमा ताई को स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में आमंत्रित किया गया था। एक हफ्ते के प्रवास के बाद जब वे दोनों वापस आईं तब प्रार्थना सभा में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। वहाँ के मौसम, प्राकृतिक वातावरण, रहन-सहन और खानपान के बारे में बताया। वहाँ के विद्यालयों और बच्चों पर विस्तार से चर्चा की। जया ताई ने उल्लेख किया कि वहाँ के स्कूलों में शिल्प और हाथ के काम को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सुषमा ताई ने वहाँ के स्कूलों पर आधारित एक पॉवरपॉइंट प्रस्तुतीकरण भी दिया। इस दौरान बच्चे उत्साहित थे और वे वहाँ के स्कूलों की तुलना आनंद निकेतन से कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रार्थना सभा में जीवन दादा ने ‘अपना विद्यालय’ विषय पर लिखी स्वरचित मराठी कविता

सुनाई। प्रकृति ताई ने स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के ऊपर प्रस्तुति दी। विद्यालय के शिक्षक शरद दादा ने पूरी सभा के सामने अंधश्रद्धा के निर्मूलन के लिए प्रयोग करके दिखाए। गायत्री ताई ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर पूरी सभा को जागरूक किया। यह अवलोकनीय रहा कि शिक्षकों की प्रस्तुतियों के दौरान किसी औपचारिकता को नहीं निभाया गया। जैसे कोई विद्यार्थी अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत होता था, वैसे ही शिक्षक भी आए।

प्रकृति के साथ सहजीवन की प्रस्तुति

आनंद निकेतन विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्रकृति के साथ सहजीवन के मूल्य पर बल दिया जाता है। इस विद्यालय में गाई जाने वाली प्रार्थनाओं में निहित एक मुख्य संदेश प्रकृति और मनुष्य की एकात्मकता और पारस्परिकता है। इसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी इस तथ्य की सराहना करते हैं कि वे विराट प्रकृति का ही अंश हैं। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों का प्रकृति प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अक्सर प्रार्थना सभा में विद्यार्थी किसी न किसी स्थानीय वनस्पति और जीव को प्रस्तुत करते थे। उदाहरण के लिए, कक्षा 5 में पढ़ने वाली प्राची ने अपने खेत से निकले हुए भिंडी के फूल लेकर प्रार्थना सभा में दिखाएँ और बताया कि उसकी कक्षा ने जो फसल लगाई हुई थी, उसका फूल आने लगा है। इससे अभिप्रेरित होकर अन्य विद्यार्थियों ने भी मौसमी सब्जियों और फसलों का अवलोकन किया। उससे अपनी-अपनी कक्षाओं का परिचय कराया। ऐसे ही कक्षा तीन के एक विद्यार्थी प्रद्युम्न ने विद्यालय में मेंढक के छोटे बच्चों

पर प्रस्तुतीकरण दिया। कक्षा चार में पढ़ने वाली अक्षरा घर से विद्यालय आ रही थी। उसे रास्ते में एक तितली मिली। तितली बहुत सुंदर थी और उसने उसको उठा लिया और अपनी हथेली में रखकर वह विद्यालय लेकर आई। प्रार्थना सभा में जब 'आज का विचार' और 'संबोधन' हो चुका था तब अक्षरा खड़ी हुई और अपने हाथ में तितली को लेकर सब को दिखाया। इसके बाद सुषमा ताई ने सभा के सामने जैव विविधता और छोटे कीट-पतंगों के ऊपर संकट की चर्चा की। इस चर्चा के अंत में तय हुआ कि आगामी शनिवार को विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर विद्यालय परिसर में इस तरह के कीट-पतंगों को खोजेंगे और उनका अवलोकन करेंगे। आगामी शनिवार को यह गतिविधि हुई। स्पष्ट है कि विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की पहल को वैधता प्रदान करने के साथ उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षण अनुभव में भी परिवर्तित किया गया। ऐसा ही एक उदाहरण और प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना सभा— विद्यार्थियों के वैचारिक उन्मुखीकरण का मंच

आनंद निकेतन विद्यालय की प्रार्थना सभा एक ऐसा मंच है जो विद्यार्थियों को गांधीवादी मूल्यों और नई तालीम के सिद्धांतों से परिचित कराता है। क्षेत्र कार्य के दौरान पाया गया कि कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों ने कनिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 'नई तालीम क्या है, इस विषय पर प्रार्थना सभा में एक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में विद्यार्थियों ने खुद को तीन-तीन के समूह में विभाजित किया और प्रत्येक समूह ने नई तालीम की किसी एक विशेषता पर अपना मत रखा। प्रथम समूह ने बताया कि नई तालीम की

पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है। इस समूह ने वर्तमान विकास के प्रतिमान द्वारा हो रहे विनाश का उदाहरण दिया। इस समूह ने बल देकर कहा कि उक्त समस्याओं का हल हमें गांधी जी की नई तालीम में मिलता है। दूसरे समूह ने कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए नई तालीम की प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त किए। इस समूह ने अपनी बात रखते हुए विदर्भ में किसानों की आत्महत्या पर चर्चा की। इस समूह ने बताया कि कृषि अब संपोषणीय नहीं रह गई है। किसान भी जैविक कृषि से दूर होते जा रहे हैं। इससे किसान की निर्भरता बाजार पर बढ़ जाती है और कर्ज ज्यादा हो जाता है। इस कारण से आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। समूह ने यह भी जोड़ा कि कृषि के जैविक न रहने का असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ा है, जैसे-जैसे खेत को तैयार करने की मशीन आती गई हमारे जानवर हमसे दूर होते गए। जब हमारे पास पालतू जानवर हुआ करते थे तो हमें रासायनिक खाद, खेत जोतने के पैसे आदि देने नहीं पड़ते थे। साथ ही साथ रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना पड़ता था, लेकिन यह सब खत्म होने से नई समस्याओं को बढ़ावा मिला और पर्यावरण भी चिंता की श्रेणी में आ गया है। तीसरे समूह ने चर्चा कि नई तालीम पंथनिरपेक्षता सिखाती है। वह सभी धर्मों से प्रेम करना सिखाती है। इसके लिए इस समूह ने उदाहरण दिया कि वे अपनी प्रार्थनाओं में सबके मंगल की कामना करते हैं। किसी एक धर्म के प्रति नई तालीम का झुकाव कभी नहीं रहा है। नई तालीम विश्व शांति और मानवता के साथ रही है। नई तालीम में अहिंसा का विचार भी हम लोगों को सिखाया जाता है। चौथे समूह ने जाति भेद निर्मूलन,

समतामूलक समाज, खादी की विविधता पर बातचीत की। पाँचवें समूह ने उपभोक्तावादी संस्कृति पर बात की। इस समूह ने पिज्जा कल्चर का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे यह हमारे जीवन में शामिल हो गया है। छठें समूह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। गांधी इसलिए बहुरूप गांधी हैं कि वे प्रत्येक काम स्वयं करने की बात करते थे। इस समूह ने बल दिया कि सफाई भी एक मूल्य है जिसका परिणाम स्वच्छता है।

इस विद्यालय में नैतिक जागरण के लिए उपदेश की विधि नहीं अपनाई जाती है। न ही किसी वयस्क द्वारा कठिन भाषा में ओजस्वी भाषण दिया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है कि वे अपनी विचाराभिव्यक्ति में इन विषयों पर चर्चा करें। इस तैयारी में शिक्षिका उनकी मदद करती है, लेकिन शब्दशः लिखकर या रटवाने के बजाय मिलकर पढ़ने, मनन करने और प्रस्तुतीकरण करने के तरीके को अपनाया जाता है। 'दिन विशेष' की तैयारी के संदर्भ में विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता आंदोलन, विज्ञान, शिक्षा एवं समाज सुधार जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से परिचित होते हैं। 'संबोधन' की तैयारी द्वारा वे अपने संप्रेषण कौशल पर कार्य करने के साथ-साथ खुद को वैचारिक ढंग से भी मजबूत करते हैं। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों की प्रस्तुति से पूर्व ही उन्हें विषय देते हैं और उनकी तैयारी करवाते हैं। संबोधन के लिए विषयों के चुनाव से स्पष्ट होता है कि शिक्षक सशक्त और विचारवान नागरिकों की छवि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वैचारिकी की दृष्टि से विद्यार्थियों की तैयारी करवाते

हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा सात के रोहन ने विनोबा भावे के विचार को प्रस्तुत किया कि “प्रीति से मन प्रफुल्लित होता है और सेवा से जग प्रफुल्लित होता है।” इसकी व्याख्या में उसने बताया कि हमें निःस्वार्थ सेवा द्वारा जगत कल्याण के स्वप्न को साकार करना है। कक्षा आठ के तुषार ने ‘अहिंसा बलवान शस्त्र है, जिससे दुनिया में शांति लाई जा सकती है’, विषय पर संबोधन दिया। उसने बल दिया कि वर्तमान में पूरी दुनिया में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्तियों से बचने का उपाय गांधी का अहिंसा का विचार है। कक्षा पाँच की छात्रा समृद्धि ने प्रस्तुति दी कि “जिस तरह से प्रकाश के बिना वस्तु नहीं दिखती है, उसी तरह से विचारों के बिना सूचनाओं को रटने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।” उक्त उदाहरण बताते हैं कि आनंद निकेतन प्रातःकालीन सभा को भी विद्यार्थियों के वैचारिक उन्मुखीकरण के मंच की तरह प्रयोग कर रहा है। यह विद्यालय विद्यार्थियों को सजग, सचेत और सक्रिय नागरिक मानता है, जो अपने परिवेश और विद्यालय में बदलाव के कर्ता बन सकते हैं।

इन्हीं बदलाव के कर्ताओं ने अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में, प्रार्थना सभा में ‘भारत का संविधान’ विषय पर प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति की तैयारी जीवन दादा के मार्गदर्शन में हुई थी। इस सत्र का आरंभ कक्षा आठ की छात्रा प्रणाली के प्रस्तुतीकरण से हुआ। उसने ‘संविधान मतलब क्या?’ इस सवाल पर अपने विचार प्रकट किए। उसने कहा कि किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल ढाँचा होता है। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए कानून

जिनके द्वारा उस देश को सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। यह किसी संस्था का भी हो सकता है, किसी विद्यालय का भी हो सकता है। इसके माध्यम से उस देश के नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। इसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थी यश ने ‘संविधान का मसौदा’ विषय पर प्रस्तुति दी। उसने बताया कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति को ड्राफ्ट तैयार करने में दो साल से ज्यादा समय लगा था। नवंबर 26, 1949 को समिति ने संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने पेश किया था। इसी क्रम में स्नेहल ने संविधान में मूल अधिकारों का महत्व बताया। उसने बल दिया कि भारत का संविधान केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी ही नहीं देता, बल्कि विश्व के संविधानों में पाए जाने वाले अधिकारों से अधिक व्यापक और स्पष्ट भी है। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में अलग से दर्ज किया गया है। संविधान ने उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इन अधिकारों को अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। प्रिया ने “बाबा साहेब ने संविधान की रचना कैसे की” इसके बारे में बताया। इस प्रस्तुति के अंत में शिक्षक जीवन दादा ने विद्यार्थियों के विचारों का समेकन प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि संविधान एक उपकरण है जो सरकारी संस्थानों के बीच सत्ता को अलग करने और वितरित करने में मदद करता है। उन्होंने संविधान को सामाजिक उपकरण के रूप में बताया जो निम्न वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। इस

गतिविधि के माध्यम से विद्यालय ने केवल संविधान की भूमिका से विद्यार्थियों को परिचित कराया, बल्कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि और मूल्यों के प्रति भी सजग किया।

निष्कर्ष

आनंद निकेतन की प्रातःकालीन सभा आत्मानुशान से युक्त लोकतांत्रिक भागीदारी वाली विद्यालय संस्कृति की प्रतिनिधि है। इस दैनिक गतिविधि में किसी भी अन्य विद्यालयी रीति-रिवाज की तरह समूह-बोध का प्रदर्शन किया जाता है। इस दौरान व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्र सत्ता और सृजनात्मक अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। आनंद निकेतन जिस शांति आधारित समतामूलक अहिंसक और शाश्वत विकास की ओर उन्मुख 'नए समाज' के लक्ष्य को लेकर चलता है, उसके मूल्यों, व्यवहारों और विश्वासों को दैनिक अभ्यास में उतारने का यत्न प्रातःकालीन सभा में किया जाता है। यह आयोजन किसी बाह्य एजेंसी द्वारा आनंद का सृजन करने, समस्याओं का समाधान

करने, नवाचार करने की मान्यताओं को खारिज करता है और एकजुटता के साथ सामूहिक प्रयत्न, पहल और संवाद से बदलाव हो सकता है, की स्थापना को साकार करते हैं। इसके द्वारा मानव की अंतर्निहित क्षमता के विकास के लिए नैतिकता, सहकारिता और स्वायत्तता को प्रमुखता दी जाती है। समष्टि स्तर पर सामुदायिकता की भावना को स्थापित किया जाता है। शोषण और अन्याय वाली सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर चिंतन करते हुए इसके विकल्प रूप में स्वावलंबन, आलोचनात्मक विवेक और वैज्ञानिक चिंतन के रास्ते बदलाव की परिकल्पना की जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर हर शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्वतंत्र और सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच की दूरी को कम किया जाता है। निगरानी, सख्त अनुशासन और मानकीकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति जैसे अभ्यासों का यहाँ निषेध है। अनौपचारिक और पारस्परिक घनिष्ठ संबंध पर आधारित माहौल सामूहिकता का आधार है।

संदर्भ

- कैपी, सी. 2019. राइटीयस पाथ : परफॉर्मिंग मोरलटी इन साउथ अफ्रीकन मॉर्निंग असेंबली. *एन्थ्रोपॉलॉजिकल क्वाटरली*. 92(3), पृ.सं. 845-876.
- क्वार्ट्ज, आर. 1999. स्कूल रिचुअल एज परफॉर्मेंस : अरीकंस्ट्रक्शन ऑफ दुर्खाइम एंड टर्नर यूज ऑफ रिचुअल. *एजुकेशनल थियरी*. 49(4) पृ.सं. 493-514.
- दुर्खाइम, ई. 1965. *द एलीमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ* (अनुवादक : जोसेफ वॉर्ड स्वाई). द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क.
- फूको, एम. 1977. *डिसिप्लिन एंड पनीश*. पेंग्विन, लंदन.

- बर्नस्टीन, बी., एच.एल. लेविन और आर.एस. पीटर्स. 1966. रिचुअल इन एजुकेशन. *फिलॉसफिकल ट्रांस्जैक्शंस ऑफ द रायल सोसाइटी ऑफ लंदन*. 251(772), पृ.सं. 429–436.
- बीजोर्क, सी. 2002. रिकंस्ट्रक्टिंग रिचुअल्स : एक्सप्रेसंस ऑफ ऑटोनोमी एंड रेजिस्टेंस इन अ सिनो-इंडोनेशियन स्कूल. *एन्थ्रोपॉलॉजी एंड एजुकेशन क्वार्टली*. 33(4), पृ.सं. 465–491.
- बेनेई, वी. 2008. स्कूलिंग पैशंस : नेशन, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज इन कन्टेम्प्रेरी वेस्टर्न इंडिया. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैलिफोर्निया.
- सिल्वर्ट, पी. और एच. जैकलीन. 2015. असेम्बलिंग द आइडियल लर्नर : द स्कूल असेंबली ऐज रेगुलेटरी रिचुअल. *रिव्यू ऑफ एजुकेशन, पेडागॉजी एंड कल्चरल स्टडीज*. 37(4), पृ.सं. 326–344.